

महावीर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदायकेन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

174 अनुभाग

संकेन्द्रीय लखनऊ: दिनांक : 13 जून, 2003

:- चिल्ड्रेन पब्लिक सीनियर स्कूल चित्राशंकर फतेहपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करत हूँ मुझे यह कहने का दुःख हुआ है कि उक्त स्थिति विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित के अधीन आपत्ति नहीं है :-

विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

-2-



Principal
Children Public Sr. Sec. School
Fatehpur
Affn. No-2130597

- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबंध यह भी होगा कि शासनादेश दिनांक 30-11-91 में अंकित प्रतिबंधों का नौतायटी नियमावली में समावेश शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा ।
- 3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महतीय,

Maharaj
 महावीर यादव ।
 विशेष सचिव ।

सूचना एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, चिल्ड्रेन पब्लिक सीनियर स्कूल चित्राशनगर, फतेहपुर ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा है,

महावीर यादव ।
 विशेष सचिव ।

Principal
 Principal
 Children Public Sr. Sec. School
 Fatehpur
 Affn: No-2130597